



# आईएचबी लिमिटेड

(पूर्व में आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड)  
इण्डियन ऑयल बिल्डिंग, सेक्टर-एफ, कपोरथला, अलीगंज, लखनऊ - 226024  
ई-मेल : ihbpvtltd@gmail.com, info@ihbl.in, फोन : 0522-3572763

## IHB Limited

(Formerly Known as IHB Private Limited)  
Indian Oil Building, Sector-F, Kapoorthala, Aliganj, Lucknow-226024  
E-mail : ihbpvtltd@gmail.com, info@ihbl.in, Phone No. : 0522-3572763



A JOINT VENTURE OF  
INDIANOIL, HINDUSTAN PETROLEUM  
& BHARAT PETROLEUM

आईएचबी/केजीपीएल/डी/1.1/फॉरेस्ट/42798

दिनांक: 20.01.2023

### नोडल अधिकारी

### पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

विषय: आईएचबी/केजीपीएल द्वारा कांडला-गोरखपुर एलपीजी पाइप लाइन परियोजना (उत्तराव से गोरखपुर सेक्शन) के अंतर्गत 0.2778 हे० संरक्षित एवं 3.7028 हे० आरक्षित कुल 3.9806 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

- संदर्भ- 1. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या 8बी/यू.पी./09/206/2022/एफ.सी/717 दिनांक-29.11.2022  
2. आईएचबी/केजीपीएल/डी/1.1/फॉरेस्ट/42798 दिनांक 28.12.2022  
3. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पत्रांक 8139/14-10-4 लखनऊ, दिनांक 13.01.2023  
4. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, पत्रांक 3093/2-6 गोरखपुर, दिनांक 20.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 2 व 3 के क्रम में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि व शर्त संख्या 04 के क्रम में निम्नानुसार प्रभावित वन भूमि की एन.पी.वी की आगणित धनराशि कैपा नई दिल्ली के खाते में ई पोर्टल से प्राप्त चालान के माध्यम से जमा करने हेतु संबंधित प्रभागों द्वारा निर्गत डिमांड नोट प्रस्तुत हैं। धनराशि जमा करने हेतु विवरण निम्न प्रकार है -

*Amir*

(4/2)

CIN : U60230GJ2019PLC109127

पंजीकृत कार्यालय : इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, साबरमती टर्मिनल, निकट-'डी' केबिन, साबरमती, अहमदाबाद-380019 गुजरात  
मुख्य कार्यालय : छठा तल, इण्डियन ऑयल भवन, ए-1, सेक्टर-1, उद्योग मार्ग, नोएडा - 201301

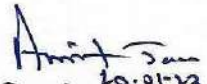
Regd. Office : Indian Oil Corporation Limited, Sabaramti Terminal 'D' Cabin, Sabaramati, Ahmedabad - 380019 Gujarat  
Head Office : 6th Floor, Indian Oil Bhawan, A-1, Sector-1, Udyog Marg, Noida - 201301

| क्र. सं. | प्रभाग का नाम                                     | प्रभावित वनभूमि हे० में | N.P.V. दर प्रति हे० | N.P.V. धनराशि | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षे० | क्षतिपूरक मय अनुरक्षण सहित धनराशि |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | अवध वन प्रभाग लखनऊ                                | 1.773                   | 957780.00           | 1698144.00    | 0                               | 0                                 |
| 2        | पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली | 0.6943                  | 957780.00           | 664987.00     | 8.12                            | 1916428.00                        |
| 3        | सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव                  | 1.2909                  | 957780.00           | 1236398.00    | 0                               | 0                                 |
| 4        | सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, प्रतापगढ़  | 0.0235                  | 957780.00           | 22508.00      | 0                               | 0                                 |
| 5        | सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज                  | 0.1295                  | 957780.00           | 124033.00     | 0                               | 0                                 |
| 6        | वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी                        | 0.0046                  | 957780.00           | 4406.00       | 0                               | 0                                 |
| 7        | सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मऊ                      | 0.0040                  | 957780.00           | 3831.00       | 0                               | 0                                 |
| 8        | सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर                     | 0.0080                  | 957780.00           | 7663.00       | 0                               | 0                                 |
| 9        | सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया                    | 0.0028                  | 1228590             | 3440.00       | 0                               | 0                                 |
| 10       | गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर                        | 0.0500                  | 1436670             | 71834.00      | 0                               | 0                                 |
|          | योग                                               | 3.9806                  |                     | 3837244.00    |                                 | 1916428.00                        |

एन.पी.वी एवं क्षतिपूरक अनुरक्षण सहित कुल धनराशि (3837244+1916428)=5753672.00 ( सत्तावन लाख तिरपन हजार छ सौ बहतर रूपये मात्र)।

श्रीमान से चालान अनुमोदन हेतु अनुरोध हैं। इस सम्बन्ध में आपका सहयोग प्रार्थनीय है।

भवदीय

  
 20.01.23  
 अमित जैन  
 मुख्य प्रबंधक (परियोजना)



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ०प्र०, लखनऊ।  
पत्रांक 7390/14-10-4 लखनऊ, दिनांक 20, दिसम्बर, 2022.

सेवा में,

विषय:-

संदर्भ

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 23 तक निम्नानुसार धनराशि आनलाईन जमा कर रसीद उपलब्ध कराने का कष्ट करें व अनुपालन आख्या भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:-

- सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दु संख्या-4 में दिये गये निर्देशानुसार काण्डला गोरखपुर एलपीजी पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.035 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 1.773 हे० वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की वांछित धनराशि रु० 1698144.00 (रु० सोलह लाख अठान्ने हजार एक सौ चौवालिस मात्र) जमा करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार शर्त सं०-04 के क्रम में कुल धनराशि रूपया 1698144.00 (रु० सोलह लाख अठान्ने हजार एक सौ चौवालिस मात्र) आनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कराने का कष्ट करें तथा जमा धनराशि की रसीद उपलब्ध करायें।  
शर्त सं० 1 से 23 तक की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में 5 प्रतियों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

| क्रम सं० | शर्त का विवरण | अनुपालन आख्या |
|----------|---------------|---------------|
| 1        | 2             | 3             |

उक्त के अतिरिक्त उ०प्र० शासन की पत्र संख्या-1954/81-2-2020-600(51)/199 दिनांक 08-12-2020 के क्रम में प्रभावित आरक्षित वन भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम व प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट निर्धारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1669/14-1 दिनांक 30-08-2022 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ से अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्धारण के उपरान्त मांग पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा, जिसे आप द्वारा जमा कराया जायेगा।

भवदीय,  
Ravi

(डा० रवि कुमार सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक /14-10-4 समदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र० लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० रवि कुमार सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

अवध वन प्रभाग, लखनऊ।



# कार्यालय प्रभागीय निदेशक, पर्यावरण

पत्रांक- 7705/14-10-4

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबंधक, आई०एच०बी०लि०  
प्रथम तल, विश्वशील परिसर, बी-2/6,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

विषय-

मे० आई०एच०बी०एल० द्वारा काण्डला-गोरखपुर एल०पी०जी० पाईप लाईन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अंतर्गत जनपद-उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे० संरक्षित वनभूमि प्रतापगढ़ में 0.0235 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे० संरक्षित वनभूमि जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे०, आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे० संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन, अर्थात् 0.2778 हे० संरक्षित एवं 3.7028 हे० आरक्षित कुल 3.9806 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ-

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/42798/2019, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/09/206/2022/एफ०सी०/717 दिनांक-29.11.2022 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-1860/11-सी- FP/UP/Others/42798/2019 दिनांक-30.11.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको भी पृष्ठांकित है के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या-2, 3 एवं 4 के अनुपालन के क्रम में आई०एच०बी०एल० द्वारा काण्डला-गोरखपुर एल०पी०जी० पाईप लाईन परियोजना (उन्नाव-गोरखपुर सेक्शन) के संरक्षण में प्रभावित कुल 3.9806 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष आई०एच०बी०लि० द्वारा भदोखर वन ब्लाक (6.0 हे०) एवं खुरहटी वन ब्लाक (2.12 हे०) में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण तथा रायबरेली वन प्रभाग के एन०पी०वी० हेतु जमा करायी जाने वाली धनराशियों का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित है। कृपया वांछित धनराशि निम्न प्रकार ई-पोर्टल के माध्यम से निर्गत ई-चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा कराने का कष्ट करें।

1- शर्त संख्या-2 एवं 3 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण:-

| क्र० सं० | प्रभाग             | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन ब्लाक का नाम | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | धनराशि (रु० में) |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1-       | रायबरेली वन प्रभाग | भदोखर वन ब्लाक                                  | 6.0                                                            | 1161028.00       |
| 2-       |                    | खुरहटी वन ब्लाक                                 | 2.12                                                           | 755400.00        |
| कुल-     |                    |                                                 | 8.12                                                           | 1916428.00       |

2- शर्त संख्या-4 के अनुसार एन०पी०वी० (नेट प्रेजेन्ट वैल्यू) हेतु जमा की जाने वाली धनराशि:-

| क्र० सं० | प्रभाग             | प्रभावित कुल वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | संशोधित दर (प्रति हे०) | धनराशि (रु० में) |
|----------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1-       | रायबरेली वन प्रभाग | 0.6943                                      | 957780                 | 664987.00        |

कृपया उपरोक्त उल्लिखित धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से निर्गत ई-चालान द्वारा कैम्पा के पक्ष में जमा कराने के उपरान्त निर्गत ई-रिसिप्ट तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के सापेक्ष बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कर 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही शीघ्र सम्भव हो सके।

**संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)  
प्रभागीय निदेशक,  
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,  
रायबरेली

पत्रांक 2705 / उक्तदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)  
प्रभागीय निदेशक,  
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,  
रायबरेली



कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव  
पत्रांक 1490/14-1 दिनांक, 08, दिसम्बर, 2022

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,  
आई0एच0बी0 लिमिटेड,  
पहली मंजिल विश्वशील परिसर बी-2/6,  
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:- मे0 आई0एच0बी0 द्वारा काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे0 संरक्षित वनभूमि, प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे0 संरक्षित वनभूमि वनभूमि जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे0, आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् 0.2778 हे0 संरक्षित एवं 3.7028 हे0 आरक्षित कुल 3.9806 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय की पत्र सं0-8बी/यूपी/09/206//2022/एफसी/717 दिनांक 29.11.2022

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अति0 मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा अधोहस्ताक्षरी व आपको एवं अन्य को पृष्ठांकित है। सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद उन्नाव के अन्तर्गत प्रस्तावित काण्डला से गोरखपुर तक एल0पी0जी0 पाइपलाइन के निर्माण में प्रभावित 1.284 हे0 आरक्षित तथा 0.0069 हे0 संरक्षित तथा कुल 1.2909 हे0 वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 617 वृक्षों के पातन हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। निहित शर्तों पर अनुपालन आख्या एवं अभिलेख/प्रमाण पत्र उच्च स्तर को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही प्रश्नगत आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र दि0-29.11.2022 में उल्लिखित बिन्दु सं0-01 से 24 तक के समस्त शर्तों पर अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करते हुए वचनबद्धता प्रमाण इस कार्यालय को निम्नानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

बिन्दु सं0-4. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि-क्षेत्रफल-1.2909हे0x957780 (प्रति हे0 संशोधित दर) रू0-12,36,398.00 को ऑनलाइन ई-पोर्टल पर चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई-रसीद की प्रति मूल में उपलब्ध कराया जाये।

बिन्दु सं0-6. प्रभावित 617 वृक्षों के पातन हेतु 10 रू0/वृक्ष छपान शुल्क 617x10=6170 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव के नाम बनाकर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु सं0-4.-एन0पी0वी0 की धनराशि रू0-1236398.00 (रू0 बारह लाख छत्तीस हजार तीन सौ अठठानवे मात्र) को ऑनलाइन पोर्टल पर ई-चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई-रसीद की प्रति मूल में 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बिन्दु सं0-6 हेतु

धनराशि रु0-6170.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव के पक्ष में देय हो, डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दु सं0-01 से 24 तक के समस्त शर्तों पर अनुपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करते हुए वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को 05-05 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,  
उन्नाव

पत्रांक 1490 / समदिनांक

प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके कार्यालय की पत्र सं0-1860/11-सी-एफपी/यूपी/Others/42798/2019 दि0-30.11.2022 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अधाहस्ताक्षर तथा आपको पृष्ठांकित है के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

क्षेत्रीय वनाधिकारी, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, का प्रमाण पत्र 5 प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

O/c

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,  
उन्नाव

Seam

DGO

## कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, प्रतापगढ़।

पत्रांक 1756

/15-1 दिनांक, प्रतापगढ़, दिसम्बर,

27,

2022।

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक(परियोजना),  
आईएचबी लिमिटेड, केन्द्रीय निर्माण कार्यालय कपूरथला,  
अलीगंज लखनऊ-226024

विषय:-

मे0 आई0एच0बी0 लिमिटेड द्वारा कांडला-गोरखपुर एल0पी0जी0 पाइप लाईन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) निर्माण के अन्तर्गत गोरखपुर से देवरिया बैतालपुर तक एल0पी0जी0 गैस पाइप लाईन बिछाने में जनपद-देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन, जनपद-प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा प्रतापगढ़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.0235 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 04 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

(आनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UP/Others/42798/2019)

संदर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक- 8वीं/यू0पी0/09/206/2022/एफ0सी0/717 दिनांक 29.11.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो अति0 मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को संबोधित एवं मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ एवं आपको तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत मे0 आई0एच0बी0 लिमिटेड द्वारा कांडला-गोरखपुर एल0पी0जी0 पाइप लाईन निर्माण के अन्तर्गत गोरखपुर से देवरिया बैतालपुर तक एल0पी0जी0 गैस पाइप लाईन बिछाने में जनपद-देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों के पातन, जनपद-प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा प्रतापगढ़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.0235 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 04 वृक्षों के पातन की अनुमति भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निहित शर्तों एवं प्राविधानों के तहत प्रदान की गयी है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) (0.0235 हे0X957780.00) रू0 22507.83 अर्थात् रू0 22,508.00 की धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा धनराशि की रसीद संलग्नकर अनुपालन आख्या के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त संलग्न सैद्धान्तिक स्वीकृति जो आपको पृष्ठांकित है में अंकित बिन्दु सं0-1 से 23 तक की अनुपालन आख्या/प्रमाण-पत्र 05 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें जिससे कि विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को भेजा जा सके।

भवनीय

(जगदम्बिका प्रसाद)

प्रभागीय निदेशक

सा0वा वन/एवं वन्य जीव प्रभाग

प्रतापगढ़

संख्या 1756 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि-वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

d/c

(जगदम्बिका प्रसाद)

प्रभागीय निदेशक

सा0वा वन एवं वन्य जीव प्रभाग

प्रतापगढ़



# कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक- 1900 / 15-1 दिनांक, प्रयागराज, दिसम्बर, 21, 2022।

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,  
आई0 एच0 बी0 लि0,  
पहली मंजिल विश्वशील परिसर,  
बी-2/6, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,  
लखनऊ।

**विषय:-** मे0 आई0एच0बी0एल0 द्वारा काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाईप लाईन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अन्तर्गत जनपद-उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे0 संरक्षित वन भूमि प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे0 संरक्षित वनभूमि जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् 0.2778 हे0 संरक्षित एवं 3.7028 हे0 आरक्षित कुल 3.9806 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:-** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/09/206/2022/एफ0सी0/717, दिनांक 29.11.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-1860/11-सी-FP/UP/Others/42798/2019, दिनांक 30.11.2022

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय के साथ आपको भी प्रतिलिपि/पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार के उक्त विषयक व सन्दर्भित पत्र द्वारा काण्डला-गोरखपुर LPG पाइप लाइन परियोजना से प्रयागराज जनपद में प्रभावित होने वाली संरक्षित वन भूमि 0.1295 हे0 के वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धन्तिक स्वीकृति 23 शर्तों के साथ प्रदान की गयी है, जिसका अनुपालन आपके स्तर से किया जाना है।

सैद्धन्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या-4 के अनुसार प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.1295 हे0 NPV की धनराशि रू0 9,57,780.00 प्रति हे0 की दर से रू0 1,24,033.00 ऑनलाइन ई-चालान के माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर हस्ताक्षरित ई-रसीद उपलब्ध कराये। इसके अतिरिक्त समस्त शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट भी five sets में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

  
(महावीर कौजलगी)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
प्रयागराज।

संख्या- /समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त प्रयागराज।

  
(महावीर कौजलगी)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
प्रयागराज।

## कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी।

(वन भवन, एच.आई.जी. 36, अशोक विहार कालोनी फेज-1, पश्चिम, वाराणसी-221007)

दूरभाष/फैक्स- 0522-2585574

ई-मेल dfovrns@yahoo.in

पत्रांक- 2078/29-1 दिनांक, वाराणसी, दिसम्बर, 28, 2022।

सोपा नं.

मुख्य परियोजना प्रबन्धक  
आई.एच.बी.लि. लखनऊ।

विषय-

में 0 आई0एच0बी0लि0 द्वारा काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाईप लाइन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.0089 हे० सरक्षित वन भूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे० सरक्षित वन भूमि, प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 हे० सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे० सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे० सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे० सरक्षित वन भूमि जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे० सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे० सरक्षित वन भूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे०, आरक्षित वन भूमि एवं 0.0035 हे० सरक्षित वन भूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् 0.2778 हे० सरक्षित एवं 3.7028 हे० आरक्षित कुल 3.9806 हे० वन भूमि गैर वाणिज्यी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

- 1- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/09/206/2022/एफ.सी./717 दिनांक 29.11.2022।
- 2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-1880/11-सी दिनांक 30.11.2022।

महोदय,

उक्त विषयक सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति से दिये गये बिन्दु संख्या-22 के तहत नीचे अंकित धनराशि जैसा नीचे परिवेश पीटल के माध्यम से उत्पन्न ई-बालान द्वारा जमा करवाकर बिन्दुवार अनुपातन सूचना एवं अभिलेख 05 प्रतिधियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अद्यतन कार्यवाही की जा सके।

1- बिन्दु संख्या-4 के अनुसार एन.पी.जी. की धनराशि 0.0046 हे० सरक्षित वन भूमि पर 957780.00 प्रति हे० ₹0 4406.00 (रु० चार हजार चार सौ 9: मात्र) जैसा निधि में जमा की जायेगी।

2- बिन्दु संख्या-6 के अनुसार 02 बाधक वृक्षों की छप्पन पर व्यय होने वाली धनराशि ₹0 20.00 (रु० बीस रुपये मात्र) का बालान सलन कर इस आशय से प्रेषित है कि ₹0 20.00 मात्र की धनराशि जमा करवाकर बालान की एक प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- 02 बाधक वृक्षों पर व्यय की धनराशि के सम्बन्ध में वन निगम को मांग पत्र प्रेषित किये जाने हेतु सूचित किया गया है। उ०प्र० वन निगम के द्वारा मांग पत्र प्राप्त होते ही प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी

संख्या- 2078/सम दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वाराणसी वन प्रभाग, वाराणसी



# कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मऊ

पत्रांक 883 /14-1, दिनांक, मऊ, दिसम्बर 12/2022.

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबंधक, आई0एच0बी0लि0  
पहली मंजिल विश्वशील परिषर बी-2/6,  
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:-

मे0 आई0एच0बी0लि0 द्वारा काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाईप लाईन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अन्तर्गत जनपद-उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे0 संरक्षित वनभूमि, प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे0 संरक्षित वनभूमि, जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् 0.2778 हे0 संरक्षित एवं 3.7028 हे0 आरक्षित भूमि कुल 3.9806 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/09/206/2022/एफ.सी./717 दिनांक 29.11.2022

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो आपको भी पृष्ठांकित है, के द्वारा मऊ में प्रभावित 0.004 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति 23 शर्तों के अधिन प्रदान की गयी है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/09/206/2022/एफ.सी./717 दिनांक 29.11.2022 में उल्लिखित 23 शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर उसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख 5 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित शर्त सं0-4 के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक File No. 5-3/2011-FC(Vol-I) DATE 06-01-2022 द्वारा जारी एन0पी0वी0 दर के अनुसार 0.004 हे0 X 957780=3831.00 Rs. (Eco-Class-III Open) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ कार्यालय में सम्पर्क कर उपरोक्त वांछित धनराशि मु0-3831.00 रु0 को ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें तथा चालान की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग मऊ।

संख्या 883 अ/ समदिनांकित

प्रतिलिपि:-वन संरक्षक, आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़ को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग मऊ।

# कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

पत्रांक 1950/14-16 दिनांक जौनपुर दिसम्बर, 19-2022

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक (परियोजना)

आई0एच0बी0, प्रा0लि0,

इण्डियन ऑयल बिल्डिंग, सेक्टर-एफ, कपूरथला, अलीगंज

लखनऊ-226024

## (प्रस्ताव सं0-FP/UP/Pipeline/42798/2019)

**विषय:-** मे0 आईएच0बी0एल0 द्वारा काण्डला-गोरखपुर एल0पी0जी0 पाईप लाईन परियोजना (उन्नाव-गोरखपुर सेक्शन) अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे0 संरक्षित वनभूमि, प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे0 संरक्षित वनभूमि जनपद जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे0 एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे0 आरक्षित एवं 0.035 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन, अर्थात् 0.2778 हे0 संरक्षित एवं 3.7028 हे0 आरक्षित कुल 3.9806 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (सैद्धान्तिक स्वीकृति) पत्रांक 8बी/यू0पी0/09/206/2022/एफ0सी0/717 दिनांक 29.11.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के साथ संरक्षित भूमि पर प्रश्नगत एल0पी0जी0 पाईप लाईन परियोजना हेतु उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः अनुरोध है कि उक्त शर्तों को पूरा करने हेतु निम्न प्रकार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ0प्र0, में ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा करें तथा अनुपालन आख्या 5 प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे उच्चाधिकारियों को अग्रसारित किया जा सके।

| क्रम सं0 | विवरण                                                                                                                                         | मद                          | प्रस्तावित धनराशि (रू0में) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                             | 3                           | 4                          |
| 1        | शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.0080 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य(संशोधित) (9.57780 लाख प्रति हे0 की दर से)/(एन0पी0वी0) | (N.P.V) शुद्ध वर्तमान मूल्य | 7663.00                    |
|          |                                                                                                                                               | योग-                        | 7663.00                    |

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in total area of 8.12ha in Bhadokhar Forest Block, Range & Distt.- Raibareilly (6 ha.) and in Khurhati Forest Block, Range & Digit Raibareilly (2.12 ha), at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.



4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 3.9806 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.

Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.200 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to 4466 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
7. No Violation of FCA Certificate from concerned DFO shall be provided.
8. The complete compliance of the FRA.2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
9. The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.
10. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental ( Protection ) Act , 1985 , if applicable .
11. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
12. No labour camp shall be established on the forest land.
13. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
14. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.
15. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
16. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
17. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
18. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt, of India.
19. The KML file of the area to be diverted, the CA areas. The proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. N. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
22. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred /deposited to CAMP fund only through e-Portal (<https://Parivesh.nic.in>).
23. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

भवदीय



(प्रवीन खरे)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

संख्या 1950 / समदिनांक

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी महोदय को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।



(प्रवीन खरे)  
प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।



कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया  
पत्रांक 1469 / 2-6 देवरिया, दिनांक, दिसम्बर-22 / 2022  
सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,  
आईओएचडीसीओ पहली मंजिल विश्वशील परिसर ।  
बीओ-2 / 6, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ।

**विषय:-** मेओ आईओएचडीसीओ द्वारा काण्डला-गोरखपुर एलपीडीजी पाईप लाईन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अन्तर्गत जनपद-उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे० संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे० संरक्षित वनभूमि, प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे० संरक्षित वन भूमि, जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.0135 हे० संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 0.035 हे० संरक्षित वन भूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् 0.2778 हे० संरक्षित एवं 3.7028 हे० आरक्षित भूमि कुल 3.9806 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं०-FP/UP/Pipeline/42798/2019)

**सन्दर्भ:-** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (सैद्धान्तिक स्वीकृति) पत्रांक 8बी/यूपीओ /09/206/2022/एफ.सी/717 दिनांक 29.11.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कतिपय शर्तों के साथ संरक्षित भूमि पर प्रश्नगत एलपीडीजी पाईप लाईन परियोजना हेतु उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः अनुरोध है कि निम्न शर्तों को पूरा करने हेतु निम्न प्रकार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रति पूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ०प्र०, में ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा करें तथा अनुपालन आख्या 5 प्रतियों में प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे उच्चाधिकारियों को अग्रसारित किया जा सके।

| क्रम सं० | विवरण                                                                                                                                           | मद                          | प्रस्तावित धनराशि (रु०में) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                               | 3                           | 4                          |
| 1        | शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि 0.0028 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य (संशोधित) (12.28590 लाख प्रति हे० की दर से) / (एनपीवी) | (N.P.V) शुद्ध वर्तमान मूल्य | 3440.00                    |
|          |                                                                                                                                                 | योग-                        | 3440.00                    |

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in total area of 8.12ha in Bhadokhar Forest Block, Range & Distt.- Raibareilly (6 ha.) and in Khurhati Forest Block, Range & Distt.-Raibareilly (2.12 ha), at the cost of the user



agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years. (बरेली वन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुसूचन की धनराशि उनके मांग के अनुसार Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority में जमा किया जाना है)।

4. The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 3.9806 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 24/04/2008 in IA No. 566 in WP (p) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.

Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.200 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard. (एनपीवी की धनराशि उपरोक्त गणना के अनुसार ₹ 3440.00 की धनराशि Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority में उत्पन्न ई-बालान द्वारा जमा किया जाना है)।

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish on undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to 4466 tree/minimum numbers in the diverted forest land and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
7. No Violation of FCA Certificate from concerned DFO shall be provided.
8. The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
9. The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.
10. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act , 1985, if applicable.
11. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
12. No labour camp shall be established on the forest land.
13. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
14. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.
15. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
16. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
17. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.



18. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
19. The KML file of the area to be diverted, the CA areas. The proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.N 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
22. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMP fund only through E-Portal (<https://Parivesh.nic.in>).
23. The compliance report shall be uploaded on E-Portal(<https://parivesh.nic.in>).

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया।

संख्या 1469 / समदिनांकित

प्रतिलिपि:—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—वन संरक्षक, गोरखपुर वृत्त, गोरखपुर महोदय को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय वन अधिकारी, रुद्रपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर  
पत्रांक 3093 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, जनवरी, 20 / 2023

सेवामें,

मुख्य प्रबंधक (परियोजना)  
आई0एच0बी0, लि0, इण्डियन ऑयल बिल्डिंग,  
सेक्टर-एफ, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ-226024

(ऑनलाइन प्रस्ताव सं0-FP/UP/Others/42798/2019)

विषय:-

मे0 आई0एच0बी0एल0 द्वारा काण्डला-गोरखपुर एल0पी0जी0 पाईप लाइन परियोजना (उन्नाव से गोरखपुर सेक्शन) के अन्तर्गत जनपद-उन्नाव में प्रभावित 1.284 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0069 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 617 वृक्षों/पौधों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.1295 हे0 संरक्षित वनभूमि, प्रतापगढ़ में प्रभावित 0.0235 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, देवरिया में प्रभावित 0.0028 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 04 वृक्षों/पौधों के पातन, गोरखपुर में प्रभावित 0.05 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 32 वृक्षों/पौधों के पातन, मऊ में प्रभावित 0.004 हे0 संरक्षित वनभूमि, जौनपुर में प्रभावित 0.008 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 06 वृक्षों/पौधों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 0.6808 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.0135 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 1111 वृक्षों/पौधों के पातन, वाराणसी में प्रभावित 0.0046 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 02 वृक्षों/पौधों के पातन, लखनऊ में प्रभावित 1.738 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.035 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 2690 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् 0.2778 हे0 संरक्षित एवं 3.7028 हे0 आरक्षित भूमि कुल 3.9806 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 4466 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

उप महानिरीक्षक केन्द्रीय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक- 8बी/यू0पी0/09/206/2022/एफ.सी/717 दिनांक-29.11.2022 तथा इस कार्यालय का पत्रांक-2542/2-6, दिनांक-21.12.2022 एवं पत्रांक-3026/2-6 दिनांक-18.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव के सैद्धांतिक स्वीकृति उप महानिरीक्षक केन्द्रीय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्रांक- 8बी/यू0पी0/09/206/2022/एफ.सी/717 दिनांक-29.11.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों पर प्रदान की गयी है। परियोजना में गोरखपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत एल0पी0जी0 पाईप लाइन डालेन में 0.05 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 32 बाधक वृक्षों का पातन किया जाना है। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय द्वारा एन0पी0वी0 के सम्बन्ध में की गयी आपत्ति के कम में सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गयी समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुए शर्त संख्या- 04 के कम में संशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूति पौध रोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्रधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ0प्र0, में ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम स जमा करें तथा सैद्धांतिक स्वीकृति में लगाई गयी समस्त शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या 5 प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया सके। बिन्दुवार शर्तें निम्नवत् हैं:-

| क्रम सं0 | विवरण                                                                                                                                                                                                | मद                                                              | प्रस्तावित धनराशि (रु0में) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                                                               | 4                          |
| 1.       | शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.05 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (संशोधित) (1436670.00 रु0 प्रति हे0 की दर से)/(एन0पी0वी0) Eco Class-I हरियाली घनत्व 0.4 Dense Forest के अनुसार | (N.P.V) शुद्ध वर्तमान मूल्य<br>$0.05 \times 1436670 = 71834.00$ | 71834.00                   |
|          |                                                                                                                                                                                                      | योग-                                                            | 71834.00                   |



Legal status of the forest land shall remain unchanged.

Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in total area of 8.12 ha in Bhadokhar Forest Block, Range & Distt.- Raibareilly (6 ha.) and in Khurhati Forest Block, Range & Distt. Raibareilly (2.12 ha), at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Not Present Value (NPV) for the 3.9806 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 24/04/2008 in IA No. 566 in WP (p) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.  
Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06.01.200 and 19.01.2022 shall be deposited by User Agency in this regard.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to 4466 tree/minimum numbers in the diverted forest land and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
7. No Violation of FCA Certificate from concerned DFO shall be provided.
8. The complete compliance of the FRA.2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
9. The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be leveled.
10. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1985, if applicable.
11. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
12. No labour camp shall be established on the forest land.
13. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
14. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.

- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
6. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
  17. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
  18. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
  19. The KML file of the area to be diverted, the CA areas. The proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e- Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
  20. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.N 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
  21. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
  22. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited to CAMP fund only through e-Portal (<https://Parivesh.nic.in>).
  23. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in>).

भवदीय

(विकास यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या

—अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2— मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- 3— मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

(विकास यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर